[illegible]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

[illegible]

तारांकित प्रश्न [illegible]: 77*

23 [illegible], 2021 [illegible] प्रश्न [illegible]

[illegible]

*77. श्री [illegible]:

[illegible]:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी अस्पतालों सहित विभिन्न अस्पतालों में चिकित्सकीय लापरवाही की वजह से हुई मौतों और अन्य शारीरिक नि:शक्तता/विकार उत्पन्न होने के अनेक मामले सरकार के ध्यान में आए हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और वर्तमान वर्ष के दौरान सूचित ऐसे मामलों की संख्या सहित तत्संबंधी अस्पताल और राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) चिकित्सकीय लापरवाही के मामलों में बीमा दावों संबंधी प्रक्रिया को शासित करने वाले नियमों एवं दिशानिर्देशों तथा गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और वर्तमान वर्ष के दौरान निपटाए गए दावों/मामलों की संख्या का बीमा कंपनी-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार चिकित्सकीय लापरवाही पर रोक लगाने हेतु कोई कानून बनाने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा देश में चिकित्सकीय जवाबदेही बीमा ढाँचे में सुधारों की आवश्यकता के बारे में विभिन्न हितधारकों से प्राप्त प्रस्तावों/अभ्यावेदनों, यदि कोई हो तो, का ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा इस संबंध में उठाए गए आवश्यक कदमों/की गई कारवाई अथवा की जाने वाली कारवाई का ब्यौरा क्या है?

<u>उत्तर</u>

<u>स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री [illegible])</u>

(क) से (ङ): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

***

[illegible] 23.07.2021 [illegible] प्रश्न [illegible] 77* [illegible]

चिकित्सकीय [illegible]

(क) और (ख): मीडिया म चिकित्सीय लापरवाही को कुछ घटनाओं के बारे म रिपोट आई ह और मंत्रालय को भी समय- समय पर चिकित्सा लापरवाही से संबंधित शिकायते प्राप्त हुई ह। स्वास्थ्य राज्य का विषय होने के कारण जब कभी भी ऐसी शिकायते प्राप्त होती ह उन्ह आवश्यक अनुवर्ती कारवाई के लिए संबंधित राज्यों को अग्रेषित कर दिया जाता है।

(ग): भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) के अनुसार चिकित्सा लापरवाही के चलते होने वाली मौतों, यदि होती है, के दावों को जीवन बीमा नीति संविदाओं के अंतगत बाहर नहीं रखा जाता है और ऐसी मौतों से संबंधित दावों का निपटान नीतिगत संविदा और दावों का निपटान करने वाले विनियमों को शर्तों के अनुरूप किया जाता है। इसके अलावा, आईआरडीएआई के अनुसार स्वास्थ्य बीमा नीति संबंधी संविदाओं के अंतगत चिकित्सा लापरवाही स्टड अलोन आधार पर अपने आप बाहर नहीं है। चिकित्सा लापरवाही, यदि कोई है, के चलते अस्पताल म भर्ती होने के दावों का निपटान स्वास्थ्य बीमा नीति संबंधी संविदा को शर्तों के अनुसार किया जाता है।

चूंकि इस प्रकार के दावों पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के स्तर पर कारवाई नहीं को जाती है अथवा न ही इनका निपटान किया जाता है इसलिए मंत्रालय के लिए यह व्यवाहय नही है कि वह कद्रीय रूप से निपटाए गए दावों/ मामलों को कंपनी-वार संख्या का ब्यौरा रखे।

(घ) और (ङ) मौजूदा कानूनी प्रावधानों, जो चिकित्सा लापरवाही को रोकने म सहायता कर सकते ह, म भारत सरकार द्वारा अधिसूचित नैदानिक प्रतिष्ठान (पंजीकरण और विनियमन) अधिनियम,2010 और नैदानिक प्रतिष्ठान (कद्र सरकार) विनियम, 2012 के प्रावधान शामिल है, जिनके अनुसार राज्य/ संघ राज्य क्षेत्रों, जहां अधिनियम लागू है, म नैदानिक प्रतिष्ठानों के संचालन के लिए पंजीकरण करवाना अपेक्षित होता है। पंजीकरण प्रदान करने और इसे बनाए रखने के लिए नैदानिक प्रतिष्ठानों को सेवाओं के न्यूनतम मानदंड, कार्मिकों को न्यूनतम आवश्यकता, रिकाड और रिपोर्टों का अनुरक्षण जैसी शर्तों को पूरा करना अपेक्षित होता है और उन्ह कद्र/ राज्य सरकारों द्वारा जारी किए गए मानक उपचार संबंधी दिशानिदशों का अनुसरण करना भी अपेक्षित होता है। इस तरह राज्य/ संघ राज्य क्षेत्रों के पास जन शिकायतों के प्रभावी समाधान तथा चिकित्सा लापरवाही को रोकने एवं नियंत्रित करने के लिए अनैतिक चिकित्सा परिपाटियों पर लगाम लगाने हेतु पयाप्त काय संभावनाएं विद्यमान ह।

इसके अलावा, भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 के अंतगत जारी भारतीय चिकित्सा परिषद (व्यावसायिक आचरण, शिष्टाचार एवं नीति शास्त्र) विनियमन, 2002 के प्रावधानों के अनुसार चिकित्सा लापरवाही से संबंधित मामलों/ शिकायतों का निपटान राज्य/ संघ राज्य क्षेत्रों के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण निदेशालय या संबंधित राज्य चिकित्सा परिषद द्वारा किया जाता है। यदि शिकायतकता या प्रतिवादी राज्य चिकित्सा परिषद द्वारा लिए गए निणय से संतुष्ट नहीं होता है तो वह नीति शास्त्र एवं चिकित्सा पंजीकरण बोड, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के समक्ष अपील दायर कर सकता है।

चिकित्सा सेवाओं म किसी भी प्रकार को कोताही से संबंधित शिकायतों को उपभोक्ता सरंक्षण अधिनियम, 1986 (संशोधित 2019) के अंतगत जिला/ राज्य/ राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निपटान मंचों म भी दायर किया जा सकता है।

वतमान म इस मामले म कोई नया कानून लागू करने का कोई विशिष्ट प्रस्ताव नही है।

*****